आवश्यक/महत्वपूर्ण/द्वारा फैक्स

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
टावर–2, पंचम तल, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226002

संख्याःडीजी–एक–39(निर्देश)–2021 दिनांकःजनवरी 25,2022

सेवा में,

1–समस्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2–समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0/पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर नगर/वाराणसी।
3–समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0/संयुक्त पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
4–समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0/अपर पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर, कानपुर नगर/वाराणसी।
5–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त/अपर उपायुक्त/सेनानायक, पी0ए0सी0
6–समस्त सहायक पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0/सहायक पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर/लखनऊ/कानपुर नगर/वाराणसी।

विषयः– अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को आपातकालीन परिस्थितियों में अनुमन्य चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

कृपया शासन के पत्र संख्या–804/छः पु0से0–2–21–पीएफ–31/03(एस) दिनांक 18.10.2021 द्वारा आपातकालीन परिस्थितियों के प्रेषित किये जा रहे दावों के सम्बन्ध में आपत्ति करते हुए पत्र में उल्लेख किया गया है कि इस प्रकार के चिकित्सा उपचार केवल आपातकालीन परिस्थितियों में गम्भीर दुर्घटनाओं के लिये ही है, न कि निरन्तर चलने वाले उपचार के लिये।

2– शासन के उक्त पत्र दिनांकः 18.10.2021 में उल्लेख किया गया है कि शासनादेश संख्या 2206/पांच–6–14–1(जी)/14 दिनांकः 19.09.2014 तथा शासनादेश संख्या–3791/पांच–7–91–1072/91 दिनांक 02.07.1991 में दी गयी व्यवस्थानुसार **आपातकालीन चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति केवल आपातकालीन परिस्थितियों एवं गम्भीर दुर्घटनाओं के लिये ही है। यदि कोई ऐसी आकस्मिकता आ जाये कि रोगी को सरकारी अस्पताल में उक्त चिकित्सा उपलब्ध न हो पाये अथवा उपचार में विलम्ब होने के फलस्वरूप रोगी के जीवन को खतरा हो ऐसी आकस्मिकता में ही इस प्रकार के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सकती है।**

3– उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने हेतु उक्त शासनादेशों में की गयी व्यवस्था एवं दिशा निर्देशों को भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को परिचालित कर कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने हेतु शासन के उपर्युक्त पत्र दिनांक 18.10.2021 में अपेक्षा की गयी है।

4– निदेशानुसार शासन के उपरोक्त निर्देशों के क्रम में आपका ध्यान इस मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 15.06.2018 (छाया प्रति संलग्न) एवं शासन के पत्र दिनांकः18.10.2021 की ओर आकृष्ट करते हुए अनुरोध है, कृपया चिकित्सा दावों का निस्तारण इस पत्र में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित कराने एवं आपातकालीन परिस्थितियों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासन के उपरोक्त निर्देशों की परिधि में पाए जाने पर परीक्षणोपरान्त प्रेषित करने हेतु अपने कार्यालय में चिकित्सा प्रतिपूर्ति का कार्य करने वाले अधीनस्थों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(अजय आनन्द)
अपर पुलिस महानिदेशक(कार्मिक)
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपि–विशेष सचिव, गृह, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या–804/छः पु0से0–2–21–पीएफ–31/03(एस) दिनांक 18.10.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

द्वारा फैक्स/आवश्यक/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

1, तिलक मार्ग, लखनऊ–226001
फोन नम्बर–0522–2207997/फैक्स न.0522–2206120
ईमेल- www.igkarmik-up@nic.in

संख्याः डीजी–1–39(निर्देश)–2018 दिनांकः लखनऊः जून 15, 2018

सेवा में,

1–समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2–समस्त पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0.।
3–समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
4–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0
5–समस्त सेनानायक, पीएसी, उ0प्र0।

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को शासनादेश संख्याः269/पॉच–7–88–1071–87 दिनांकः06–02–1988 तथा शासनादेश संख्याः3791/पॉच–7–91–1072/91 दिनांकः 02–07–1991 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा आपातकालीन परिस्थितियों एवं गम्भीर दुर्घटनाओं में करायी गयी चिकित्सा की प्रतिपूर्ति अनुमन्य है जिसके अन्तर्गत रूपये 750/–तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति देय है। इस शासनादेश के **प्रस्तर–2** में उल्लिखित है कि यदि कोई ऐसी आकस्मिकता आ जाये कि रोगी को सरकारी अस्पताल तक न पहुँचाया जा सके या सरकारी अस्पताल में उक्त चिकित्सा उपलब्ध न हो पाये अथवा उपचार में विलम्ब होने के फलस्वरूप रोगी के जीवन को खतरा हो ऐसी आकस्मिकताओ में ही चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावे की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावाली–2011 एवं 2014 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के अधिकारियों/कर्मचारियों की भांति सामान्य परिस्थितियों में उपचार कराने पर अनिवार्यता प्रमाण–पत्र (Certificate"A") व (Certificate"B") में चिकित्सा दावे को चिकित्सा अधीक्षक द्वारा परीक्षणोपरान्त देय धनराशि की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति स्वीकृति की जाती है।

3– इस मुख्यालय में प्राप्त होने वाले अधिकांश दावों के अवलोकन से विदित है कि अधिकारियों को उपरोक्त दोनो चिकित्सा दावों में भ्रम की स्थिति है। अनेक दावे ऐसे है जिनमें सामान्य श्रेणी की बीमारी में क्रय की गयी दवाओं के बिल/बाउचर आपातकालीन परिस्थितियों एवं गम्भीर दुर्घटनाओं में कराये गये उपचार के अन्तर्गत दावे प्रस्तुत कर दिये जाते है। ऐसी बीमारी जिसका उपचार निरन्तरता में कुछ समय तक कराया जाए अथवा ऐसी बीमारी जिसमें निरन्तरता में चिकित्सक के परामर्श के अनुसार दवा लेनी होती है ऐसे दावे सामान्य चिकित्सा के अन्तर्गत (Certificate"A") व (Certificate"B") पर प्रस्तुत करने चाहिये।

4– आपातकालीन परिस्थितियों एवं गम्भीर दुर्घटनाओं में रूपये 750/–तक की चिकित्सा के दावे उपरोक्त शासनादेश दिनांकः02–07–1991 में उल्लिखित परिस्थितियों में करायी गयी चिकित्सा के दावे प्रेषित किये जाने चाहिये। उपरोक्त दोनो श्रेणी के सही व नियमानुसार चिकित्सा दावे प्राप्त होने पर ही स्वीकृति प्रदान किया जाना नियमानुकूल होगा।

PTO

अतः उचित होगा कि चिकित्सा दावे इस मुख्यालय को प्रेषित करने के पूर्व शासनादेश एवं नियमावली का भली भांति परीक्षण करके चिकित्सा दावा प्रेषित किये जायें, ताकि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावों की स्वीकृति समय से प्रदान की जा सके और अधिकारियों को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु किसी प्रकार की असुविधा/कठिनाई का सामना न करना पड़े।

निदेशानुसार कृपया अपने कार्यालय में चिकित्सा प्रतिपूर्ति का कार्य करने वाले सम्बन्धित अधिकारियों/सहायकों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

15/6/18

(नीरा रावत)
अपर पुलिस महानिदेशक(कार्मिक)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः— समस्त पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश,
1,तिलक मार्ग, लखनऊ–226001
फोन नम्बर–0522–2207995 / फैक्स न.0522–2206120
ईमेल–igkarmik-up@nic.in
HQRS. DIRECTOR GENERAL OF POLICE,
1,Tilak Marg, Lucknow-226001
Phone Number-0522-2207995/Fax No.0522-2206120
Email-igkarmik-up@nic.in

संख्या–डीजी–एक–39–2015 दिनांकःफरवरी 26 : 2015

सेवा में,

समस्त आई0पी0एस0 अधिकारी,
उत्तर प्रदेश संवर्ग।

महोदय,

कृपया अखिल भारतीय सेवायें(चिकित्सा परिचर्या)नियमावाली–1954 के अर्न्तगत शासनादेश संख्या–269 / 5–7–88–1071 / 87,दिनांक 6–2–88 एवं शासनादेश संख्या–3791 / 5–7–91–1072 / 91, दिनांक 2–7–1991 द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को आपातकालीन परिस्थितियों में कराई गई चिकित्सा हेतु लखनऊ में नियुक्त अधिकारियों हेतु ₹ 250–00 तथा लखनऊ मुख्यालय से बाहर नियुक्त अधिकारियों हेतु ₹ 500–00 तक की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की वर्तमान सीमा को तत्काल प्रभाव से वृद्धि करते हुए ₹ 750–00 किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने विषयक श्री अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव,चिकित्सा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ के पत्र संख्या–2206 / पॉच–6–14–1(जी) / 14,दिनांक 19–9–2014 की छायाप्रति संलग्न कर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीया,

(तनुजा श्रीवास्तवा)
पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक,
उत्तर प्रदेश।

1962/HE/61/9/02

संख्या-2206/पाँच-6-14-1(जी)/14

5492

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ: दिनाँक: 19 सितम्बर, 2014

विषय:- अखिल भारतीय सेवायें (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 1954 के अंतर्गत आपातकालीन परिस्थितियों के अंतर्गत करायी गयी चिकित्सा हेतु अनुमन्य धनराशि में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या-269/5-7-88-1071/87 दिनांक 06 फरवरी, 1988 व शासनादेश संख्या-3791/5-7-91-1072/91 दिनांक 02 जुलाई, 1991 तथा नियुक्ति विभाग का शासनादेश संख्या-यू0ओ0-617/5-6-2000-53(39)/92 दिनांक 04 जुलाई, 2000 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को अखिल भारतीय सेवायें (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली 1954 के अन्तर्गत आपातकालीन परिस्थितियों में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने के लिये शासनादेश संख्या-269/5-7-88-1071/87 दिनांक 06 फरवरी, 1988 व शासनादेश संख्या-3791/5-7-91-1072/91 दिनांक 02 जुलाई, 1991 द्वारा राज्य सरकार के मुख्यालय में स्थित अधिकारियों के लिये रू0-250/- तथा लखनऊ मुख्यालय के बाहर कार्यरत अधिकारियों के लिये रू0-500/- तक की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के वित्तीय अधिकार विभागाध्यक्षों को प्रतिनिधानित किये गये थे।

2- शासनादेश संख्या-269/5-7-88-1071/87, दिनांक 06.02.1988 एवं शासनादेश संख्या-3791/5-7-91-1072/91 दिनांक 02 जुलाई, 1991 द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को आपातकालीन परिस्थितियों में करायी गयी चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु राज्य सरकार के मुख्यालय में स्थित अधिकारियों के लिये निर्धारित एक समय में अनुमन्य की गयी धनराशि रू0 250/ (रू0 दो सौ पचास मात्र) तथा लखनऊ मुख्यालय के बाहर कार्यरत अधिकारियों के लिये रू0-500/- (रुपया पाँच सौ मात्र) तक की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की वर्तमान सीमा को तत्काल प्रभाव से वृद्धि करते हुए महामहिम राज्यपाल रू0 750/- (रू0 सात सौ पचास मात्र) किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- इस प्रकार अनुमन्य भुगतान को स्वीकृत करने एवं भुगतान कराये जाने में शासनादेश संख्या-269/5-7-88-1071/87 दिनांक 06 फरवरी, 1988, शासनादेश संख्या-3791/5-7-91-1072/91 दिनांक 02 जुलाई, 1991 व शासनादेश संख्या-यू0ओ0-617/5-6-2000-53(39)/92 दिनांक 04 जुलाई, 2000 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-जी(2) 860/X/2014, दिनांक 19 सितम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

OSD(KK) 3499 2-9-2014

आवश्यक

संख्या—3791/5—7—91—1072/91

प्रेषक,

डा0 बख्शी लाल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—शासन के समस्त सचिव/
विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

2—समस्त मण्डलों के आयुक्त।

3—समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग—7 लखनऊ, दिनांक 2 जुलाई, 1991

विषयः—अखिल भारतीय सेवायें (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1954 विभागाध्यक्षों को आपातकालीन परिस्थितियों में क्रमशः रु0 250 एवं रु0 500 के चिकित्सा व्ययों के प्रतिपूर्ति के स्वीकृति के अधिकार प्रतिनियायन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक चिकित्सा अनुभाग—7 के शासनादेश संख्या 269/5—7—88—1071—87, दिनांक 6 फरवरी, 1988 द्वारा राज्य की सेवा में रत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को आपातकालीन परिस्थितियों में यदि अनुमन्य स्रोत को छोड़कर निर्धारित शर्तों के अधीन वे किसी अन्य स्रोत से चिकित्सा कराते हैं तो ऐसे व्यय की विभागाध्यक्षों को मुख्यालय में स्थित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिये रु0 250 व राज्य सरकार के मुख्यालय से बाहर कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिये रु0 500 तक के चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति का अधिकार प्रतिनिधानित किया गया है।

2—इस संबंध में मुझे अखिल भारतीय सेवायें (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1954 के सुसंगत नियमों के उद्धरण की प्रति संलग्न करते हुए आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि इस चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति सामान्य चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति न होकर केवल आपातकालीन परिस्थितियों एवं गम्भीर दुर्घटनाओं के लिये ही है सामान्यतया उचित दरों पर सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने पर अन्य स्रोत से कराये गये चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है किन्तु यदि कोई ऐसी आकस्मिकतायें आ जायें कि रोगी को सरकारी अस्पताल तक न पहुंचाया जा सके या सरकारी अस्पताल में उक्त चिकित्सा उपलब्ध न हो पाये अथवा उपचार में विलम्ब होने के फलस्वरूप रोगी के जीवन को खतरा हो, ऐसी आकस्मिकताओं में ही अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को क्रमशः रु0 250 एवं रु0 500 के चिकित्सा व्ययों के प्रतिपूर्ति के लिये ही विभागाध्यक्षों को अधिकार प्रतिनिधानित किया गया है। इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रकार के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति केवल अखिल भारतीय सेवायें (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1954 की सीमाओं के अन्तर्गत सामान्य मुख्य भावनाओं के अनुरूप ही की जा सकेगी।

3—उपर्युक्त चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का अधिकार विभागाध्यक्ष द्वारा स्वयं की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिये लागू नहीं होगा। विभागाध्यक्ष को स्वयं को इस प्रकार के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति उच्चादेश द्वारा ही की जा सकेगी।

4—मुख्यालय लखनऊ में स्थित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिये रु0 250 के चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु विभागाध्यक्षों का तात्पर्य सचिव, विशेष सचिव, अध्यक्ष राजस्व परिषद्, आयुक्त एवं सचिव एवं अन्य समकक्ष स्तर के अधिकारियों से है। इसी प्रकार लखनऊ मुख्यालय के बाहर कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिये रु0 500 तक के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु विभागाध्यक्षों का तात्पर्य सचिव, विशेष सचिव, अध्यक्ष राजस्व परिषद्, आयुक्त एवं सचिव एवं अन्य समकक्ष स्तर के अधिकारियों से है।

5—यदि उपरोक्त प्रस्तर—4 को क्रमशः निर्धारित प्रतिपूर्ति की धनराशि सीमा से अधिक है तो यह नियुक्ति विभाग द्वारा चिकित्सा विभाग के परामर्श के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु निर्णय लिया जा सकेगा। इस संबंध में अन्य प्रत्येक विवादित मामले चिकित्सा विभाग को परामर्श हेतु संदर्भित किये जायेंगे।

अतः मुझे पुनः यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को क्रमशः रु0 250 एवं रु0 500 के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति केवल आपातकालीन परिस्थितियों एवं गंभीर दुर्घटनाओं के लिए है एवं इनकी प्रतिपूर्ति केवल उपरोक्त प्रस्तर—2 के परिप्रेक्ष्य में ही की जाय।

भवदीय,
डा0 बख्शी लाल,
विशेष सचिव।